भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *303

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष ऋण पैकेज

†*303. श्री जिया उर रहमान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और हस्तशिल्प उद्योगों, विशेषकर पीतल, सींग (हॉन) और हस्तशिल्प इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता अथवा विशेष ऋण पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैकेज के संभावित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विशेष ऋण पैकेज' के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री जिया उर रहमान द्वारा पूछे गए 10 अगस्त, 2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या*303 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार ने देश भर में एमएसएमई को ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए पहले ही विभिन्न पहलें की हैं जिनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:

i. 8.4.2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) वर्तमान में सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के लिए पात्र है और उसके पास लघु व्यवसाय उद्यम प्रारंभ करने के लिए कोई कारोबार योजना है, वह कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन संबंधी गतिविधियों के लिए इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। दिनांक 26.06.2026 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) राज्य में इस योजना के आरंभ के पश्चात, 4.13 लाख करोड़ रुपये की राशि के 6.02 करोड़ ऋण दिए गए हैं, जिनमें से 1.48 लाख करोड़ रुपये (36%) का संवितरण महिला लाभार्थियों को किया गया है।

ii. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.9.2023 को आरंभ की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 अभिज्ञात व्यवसायों में कार्यरत कारीगरों और शिल्पकारों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहित समग्र सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा 8% की ब्याज सब्सिडी के साथ 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त उद्यम विकास ऋण दो किश्तों अर्थात पहली किश्त 1 लाख (18 महीने की अवधि के लिए) और दूसरी किश्त 2 लाख रुपये (30 महीने की अवधि के लिए) प्रदान किए जाते हैं। इन 18 अभिज्ञात व्यापारों में बढ़ई, नाव निर्माता, आर्मरर, धातुकार/धातु ढलाईकार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची/फुटवियर का कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॅयर बुनकर, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल हैं। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में, 15304 लाभार्थियों को 129 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

iii. वस्त्र मंत्रालय ने देश भर में हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) नामक दो योजनाएं आरंभ की हैं।

इन योजनाओं के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचनात्मक और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता, डिजिटलीकरण, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन आदि के माध्यम से कारीगरों को समग्र सहायता के लिए आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर के पारंपरिक शिल्प को लाभ होता है और आजीविका के अवसर बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एनएचडीपी योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में 10,616 कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए 29.12 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

31.03.2026 में समाप्त हुई सीएचसीडीएस योजना के तहत, वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 6.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में 1,510 कारीगर लाभान्वित हुए।

iv. एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) आरंभ की गई थी, जो संपार्श्विक सुरक्षा या थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता के बिना एमएसई को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करती है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश में, सीजीटीएमएसई द्वारा 31.07.2026 तक 1.58 लाख करोड़ रुपये की 21 लाख से अधिक गारंटी जारी की गई हैं।

v. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 मई, 2026 में आरंभ हुई। इस योजना के तहत, एमएसएमई वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान बकाया पीक फंड-आधारित कार्यशील पूंजी के 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र हैं। यह योजना पात्र एमएसएमई उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऐसी अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए डिफॉल्ट राशि के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत, एमएसएमई, गैर-एमएसएमई और अनुसूचित यात्री एयरलाइनों के लिए 2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश में 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार, 55824 एमएसएमई को 13139 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

vi. एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एनसीजीटीसी के माध्यम से एमएलआई को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने हेतु दिनांक 01.12.2025 को निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) आरंभ की गई थी। यह योजना 31.3.2026 को समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में, 364 निर्यातकों को 744.06 करोड़ रुपये संवितरित किए गए थे।
